(1)

R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand, Lecturer.
LL.B. Part- II
Paper- VI th
Environmental Law

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम - 1977

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977, 7 दिसम्बर 1977 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त किया और 1 अप्रैल 1978 से प्रवृत्त हुआ। यह अधिनियम उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जल उपभोग पर उपकर लगाने और वसूली से सम्बन्धित है। इसका मुख्य उद्देश्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु गठित केन्द्रीय और राज्य बोर्डों के संसाधनों की अभिवृद्धि करना है।

जल उपकर अधिनियम 1977 के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में स्पष्ट किया गया है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 संसद द्वारा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत नदियों और सरिताओं के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया। इसका महत्व बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि

Scanned with CamScanner

चूँकि मुता सम्बन्ध में चार पत्नियों की संख्या की सीमा लागू नहीं होती। इस कारण शिया सम्प्रदाय के नवाबों और सामन्तों ने पाँच और छह पत्नि को मुता रूप में ग्रहण किया। ब्रिटिश शासन काल में शिया जमींदारों और तालुकदारों ने बहुत मुता रूप में ग्रहण किया। हमारे देश में जमींदारी प्रथा की समाप्ति ने मुता सम्बन्ध को ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। वर्तमान समय में मुता सम्बन्ध का प्रचलन बहुत ही कम है और कुछ ही उन कट्टरपंथी शिया लोगों द्वारा ही ऐसा अस्थायी विवाह किया जाता है जो अब भी 'अल-हुर, अल अमिली' वाक्य की प्रशंसा करते हैं। इस वाक्य का अर्थ है— जिस पुरुष ने मुता सम्बन्ध स्थापित नहीं किया वह पक्का मुस्लिम ही नहीं है। यह अस्थायी विवाह केवल इथना-अशारिया शियाओं में ही प्रचलन में है। जैदिया और इस्माइलिया शियाओं में यह संस्था प्रचलन में नहीं है। इरान और इराक में इसे विधिक 'वेश्यावृत्ति' कहा जाता है।

पुरुष शिया मुस्लिम मुता-विवाह की संविदा किसी भी मुस्लिम, इसाई पारसी या यहूदी स्त्री से कर सकता है, किंतु किसी अन्य धर्मावलम्बी स्त्री से नहीं। कोई भी शिया स्त्री मुता विवाह की संविदा किसी गैर-मुस्लिम पुरुष से नहीं कर सकती है।

मुता-सम्बन्ध के आवश्यक तत्व :-

मुता-सम्बन्ध के आवश्यक तत्व केवल दो हैं —

एवं वसूलने की युक्ति प्रस्थापित किया गया है जिनके बारे में प्रदूषण करना सोचा जाता है इससे प्राप्त निधि को समुचित प्राधिकारी को प्राप्त करना तथा उपयोगी उपाय करना है।

इस तरह जल उपकर अधिनियम 1977 का मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्य बोर्डों हेतु आर्थिक संसाधन जुटाना है। 1 अप्रैल 1978 को लागू होने के बाद 1991 में ऐक्ट संख्या 53/1991 द्वारा संशोधित किया गया।

अधिनियम का विस्तार :-

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 जम्मू और काश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। इसके साथ ही उन सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों पर लागू होता है जिन पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 लागू होता है।

उपरोक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 1 उपखण्ड-2 और 3 में वर्णित है। यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम का प्रावधान जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। अत्यधिक सावधानी के कारण धारा-1 उपखण्ड-3 में पुनः उल्लेखित किया गया है कि धारा-1 उपखण्ड-2 के प्रावधानों के अधीन यह अधिनियम उन राज्यों पर लागू होगा जिनपर -1974 का अधिनियम लागू होता है।

Scanned with CamScanner

उत्तराधिकारी माना जाता है। अतः बेगमा मृतक की सम्पत्ति की हिस्सा के समान पाने का हकदार है।

जीवन पर्यन्त के मुता-सम्बन्ध को क्या निकाह माना जाए, इसका ठीक ठीक उत्तर देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। शिया विधि के लेखक अल हिल्ली का कथन है कि विवाह संविदा में जब अवधि निश्चित हो चाहे 99 वर्ष हो या जीवन पर्यन्त होता है तो मुता सम्बन्ध है परन्तु शेख मोहम्मद हसन का कथन है कि जब मुता सम्बन्ध जीवन पर्यन्त का है तो उसे निकाह माना जाएगा।

अतः मुता-सम्बन्ध मे यदि अवधि निश्चित नहीं तो उसे शिया विधि के अनुसार निकाह ही समझा जाएगा।